राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 5 (2) न.वि.वि./3/99 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 27 सितम्बर, 1999

आदेश

इस विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय तथा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर, राजस्थान विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 1999 के अनुसरण में आवंटन-नियमितिकरण हेतु इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 5 (2) न.वि.वि./3/99 पार्ट दिनांक 24.9.99 में आंशिक संशोधन करते हुए जयपुर रीजन में देय दरों के लिए निम्नानुसार आदेश जारी करने का निर्णय लिया जाता है :-

1. विधिक स्वामित्व, इकरारनामे के आधार पर क्रय की गई भूमि, [illegible] अधिनियम के तहत निहित भूमि/अवाप्तशुदा भूमि (जिसका मुआवजा नहीं दिया है)/राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदा का अर्जन अधिनियम, 1963/अधिकतम सीमा आरोपण अधिनियम, 1973 के तहत दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :

जयपुर जोन	[illegible]	आवासीय प्रयोजन हेतु देय दर (रुपये प्रति वर्गगज) 200 वर्गगज तक	200 वर्गगज से अधिक	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु देय दर (रुपये प्रति वर्गगज)
1.	ए 1, बी-1, सी-2	65	[illegible]	270
2.	ए-2, बी-3	60	80	250
3.	सी-1	55	65	230
4.	सी-2	50	60	200
5.	डी	45	50	150
नगर निगम जयपुर की परिधीय सीमा की योजनाएं	डी	40	40	100

नगर निगम जयपुर की परिधीय सीमा के बाहर एवं ज.पि.पा. रीजन में स्थित ग्रामीण क्षेत्र	डी	05	05	10

व्यवसायिक दुकानों एवं शो-रूमों के लिए भूमि का उपयोग करने पर देय दरें निम्नानुसार होगी :-

1.	1-110 वर्ग फुट	5,000/-
2.	111-300 वर्ग फुट	10,000/-
3.	301 वर्ग फुट से उपर	20,000/-

2. राजकीय भूमि (सिवाय चक, चारागाह, अवाप्त भूमि जिसका मुआवजा दिया जा चुका है एवं अन्य) भूमि के लिए दरें निम्नानुसार होंगी :-

आवासीय प्रयोजन हेतु देय दर (रुपये प्रतिवर्ग गज)	वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु देय दर (रुपये प्रतिवर्ग गज)
उस क्षेत्र की आरक्षित आवासीय दर का 25 प्रतिशत या 300 रुपये प्रति वर्गगज जो अधिक हो	उस क्षेत्र की आरक्षित वाणिज्यिक दर का 25 प्रतिशत या 1000 रुपये प्रति वर्गगज जो अधिक हो

अवाप्तशुदा भूमि में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि भूमि के अवाप्ति के लिये भुगतान की गई मुआवजा राशि से वसूल की जाने वाली राशि कम न होवे। ऐसी स्थिति में जहाँ भुगतान किये गये मुआवजा की राशि उक्त दरों से ज्यादा हो, वहाँ नियमन के लिए देय राशि मुआवजा राशि+विकास शुल्क के बराबर देय होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दरों के आधार पर वसूल योग्य कुल राशि में से पूर्व में जमा कराई गई राशि समायोजित कर ली जावेगी। इसके लिए पूर्व में जमा कराई गई राशि का मूल चालान प्रस्तुत करना होगा। जिन योजनाओं में भूखण्डधारियों से राशि जमा कराने हेतु निर्धारित तिथि पर प्रचलित आदेशों के तहत पूर्ण राशि जमा करा दी हो तो उनसे नई दरों से राशि नहीं ली जावेगी और पट्टा जारी कर दिया जावेगा। परन्तु अधिक जमा राशि (यदि कोई हो तो) वापिस नहीं लौटाई जायेगी। पूर्व में जिन प्रकरणों में रूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होकर पट्टा विलेख या आवंटन जारी हो गया है, ऐसे प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

30

1. घोषित क्षेत्र अनुसार तय की गई समय सीमा में नियमन हेतु राशि जमा कराने पर आवेदक को कुल देय राशि पर 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
2. समयावधि समाप्त होने के बाद तथा निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने पर 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
3. बिन्दु संख्या 2 में निर्धारित अवधि तक नियमन हेतु आवेदन नहीं करने पर निर्धारित दर से दुगुनी दर पर राशि देय होगी।

आज्ञा से

सही/-

(श्रीराम मीणा)

शासन उप सचिव